14.12.21. बार-बार आवाज दिलवाई गई। न अधिवक्ता अपीलान्ट और न अपीलान्ट स्वयं उपस्थित आये अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर क्षेत्र-जोधपुर